



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 12, 2014/ज्येष्ठ 22, 1936

No. 315]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 12, 2014/JYAISTHA 22, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 4 जून, 2014

**विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2014**

**सा.का.नि. 399(अ).**—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (जी) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 6/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(ए) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।

(बी) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

## 2. विनियमों में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 6/2000-आरबी) में, विनियम 3 में,

(A) उप – विनियम 1 में,

(i) मौजूदा खंड (ए) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"प्रति व्यक्ति रु. 25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) से अनधिक राशि तक के भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिजर्व बैंक के नोट (नेपाल और भूटान को छोड़कर) अथवा ऐसी अन्य राशि और उन शर्तों के तहत भारत से बाहर ले जाए जा सकते हैं, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।"

(ii) मौजूदा खंड (सी) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"जो अस्थाई दौरे पर भारत से बाहर गया हुआ था, वह भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) के किसी स्थान से लौटते समय प्रति व्यक्ति रु. 25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) से अनधिक राशि तक के भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिजर्व बैंक के नोट अथवा ऐसी अन्य राशि और उन शर्तों के तहत भारत में ला सकता है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।"

(B) उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा:

(1ए) इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति, जो पाकिस्तान अथवा बांगला देश का नागरिक नहीं है, और भारत के दौरे पर आता है, वह

(ए) प्रति व्यक्ति रु. 25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) से अनधिक राशि तक के भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिजर्व बैंक के नोट अथवा ऐसी अन्य राशि और उन शर्तों के तहत भारत से बाहर ले जाए जा सकते हैं, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।

(बी) भारत के बाहर से लौटते समय प्रति व्यक्ति रु. 25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) से अनधिक राशि तक के भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिजर्व बैंक के नोट अथवा ऐसी अन्य राशि और उन शर्तों के तहत भारत में लाए जा सकते हैं, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।

[सं. फेमा. 309/2014-आरबी ]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

**पाद टिप्पणी :** मूल विनियमावली 5 मई, 2000 के सा.का.नि. सं. 389(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:

(ए) 21 मार्च, 2001 के सा.का.नि.सं. 201(अ)

(बी) 24 जुलाई, 2009 के सा.का.नि.सं. 548(अ)

(सी) 12 जुलाई, 2013 के सा.का.नि. सं. 480(अ)

**RESERVE BANK OF INDIA**  
**(Foreign Exchange Department)**  
(CENTRAL OFFICE)  
**NOTIFICATION**

Mumbai, the 4th June, 2014

**Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) (Amendment) Regulations, 2014**

**G.S.R. 399(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 6/2000-RB dated May 3, 2000), namely:-

**1. Short title and commencement**

- (a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) (Amendment) Regulations, 2014.
- (b) They shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment of the Regulations:**

In the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 6/2000-RB dated May 3, 2000), in regulation 3,

(A) in sub-regulation 1,

(i) the existing clause (a) shall be substituted as follows:

“may take outside India (other than to Nepal and Bhutan) currency notes of Government of India and Reserve Bank of India notes up to an amount not exceeding Rs. 25000 (Rupees Twenty Five Thousand Only) per person or such other amount and subject to such conditions as notified by Reserve Bank of India from time to time.”

(ii) the existing clause (c) shall be substituted as follows:

“who had gone out of India on a temporary visit, may bring into India at the time of his return from any place outside India (other than from Nepal and Bhutan), currency notes of Government of India and Reserve Bank of India notes up to an amount not exceeding Rs. 25,000 (Rupees Twenty Five Thousand only) per person or such other amount and subject to such conditions as notified by Reserve Bank of India from time to time.”

(B) after sub-regulation (1), the following new sub-regulation, shall be added, namely:

(1A) Save as otherwise provided in these regulations, any person resident outside India, not being a citizen of Pakistan or Bangladesh, and visiting India,

(a) may take outside India currency notes of Government of India and Reserve Bank of India notes up to an amount not exceeding Rs. 25000 (Rupees Twenty Five Thousand Only) per person or such other amount and subject to such conditions as notified by Reserve Bank of India from time to time.

(b) may bring into India currency notes of Government of India and Reserve Bank of India notes up to an amount not exceeding Rs. 25000 (Rupees Twenty Five Thousand Only) per person or such other amount and subject to such conditions as notified by Reserve Bank of India from time to time.

[No. FEMA. 309/2014-RB]

B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

**Foot Note:** The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. No. 389(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-Section (i) and subsequently amended vide:

(a) G.S.R. 201(E) dated March 21, 2001

(b) G.S.R. 548(E) dated July 24, 2009

(c) G.S.R. 480(E) dated July 12, 2013